न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/447

1. कन्हैया लाल आयु 60 वर्ष आत्मज श्री देवलाल जाति बैरवा निवासी मालेडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. बाबू लाल आयु 58 वर्ष आत्मज श्री भागोता जाति बैरवा निवासी मालेडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. बद्रीलाल आयु 50 वर्ष पुत्र श्री देवलाल तथाकथित दत्तक पुत्र रूघा जाति बैरवा निवासी मालेडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. श्रीमान् तहसीलदार, तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. श्रीमान् नायब तहसीलदार देई उप तहसील देई जिला बून्दी ।
4. पटवारी पटवार हल्का रोठोदा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की आरे से ।

निर्णय

दिनांकः 31.01.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.09.2015 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 बद्रीलाल ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम मालेडा तहसील नैनवा जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 496/131 रकबा 15 बीघा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 10.05.1986 को वादी के गोद पिता की मृत्यु के बाद वादी के गोद पिता रूघा आत्मज पांचू के सम्पूर्ण कियाकर्म व जाति समाज के रस्म रिवाज वादी द्वारा ही सम्पन्न किये गये थे । वादी के गोद पिता रूघा आत्मज पांचू की फाग भी वादी के नाम मालेडा के पंचों व अन्य रिश्तेदारों के समक्ष बांधकर वादी को वादी के गोद पिता रूघा का उत्ताराधिकारी घोषित किया गया था ।

3. अतः वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में मृतक वादी के गोद पिता रूघ्झा आत्मज पांचू का नाम हटाया जाकर वादी का नाम बतौर खातदेार के रूप में अंकित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त की आराजी पर वादी

कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं पहुंचाए और न ही उक्त भूमि को किसी प्रकार से खुर्द–बुर्द व रहन बेचान नहीं करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.09.2015 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए वादी को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित करते हुए वादग्रस्त आराजी पर वादी का नाम खातेदारी में दर्ज करने का निर्णय एवं डिक्री पारित की ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.09.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा ने अपील मीमो के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.09.2015 से उसके हित प्रभावित हुए हैं और वह प्रस्तुत प्रकरण में व्यथित पक्षकार है क्योंकि उक्त भूमि पर अपीलान्ट का पिछले 40 वर्षों से कब्जा काश्त चला आ रहा है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

7. हमने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट ने उक्त भूमि पर अपना पिछले 40 वर्षो से कब्जा काश्त होना बताया है और स्वयं को अपीलाधीन आदेश से व्यथित होना बताया है । हम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का स्वीकार कर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्ततु करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

8. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपने अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त निर्णय एंव डिक्री पारित कर दी । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट आवश्यक पक्षकार थे क्योंकि उक्त भूमि पर अपीलान्ट पिछले 40 वर्षो से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । मृतक रूघा ने रेस्पोडेन्ट कम 1 के पक्ष में कभी कोई गोदनामा निष्पादित नहीं किया है । रूघा की मृत्यु का सारा क्रियकर्म अपीलान्ट द्वारा ही किया गया है । पंचनामा दिनांक 20.08.2013 गलत बनाया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीयात की गलत विवेचना करते हुए उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.09.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि दिनांक 10.05.1986 को वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 के गोद पिता की मृत्यु के बाद वादी के गोद पिता रूघा आत्मज पांचू के सम्पूर्ण क्रियाकर्म व जाति समाज के रस्म रिवाज वादी रेस्पोडेन्ट द्वारा ही सम्पन्न किये गये थे । वादी रेस्पोडेन्ट के गोद पिता रूघा आत्मज पांचू की फाग भी वादी के नाम मालेडा के पंचों व अन्य रिश्तेदारों के समक्ष बांधकर वादी को वादी रेस्पोडेन्ट के गोद पिता रूघा का उत्तराधिकारी घोषित

या गया था । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा एवं जवाबदावा के आधार पर वाद–विवादक बिन्दु कायम कर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.09.2015 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में 2014 (3) डीएनजे (राज0) पेज 1210 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया और अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया । प्रस्तुत प्रकरण में वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 बद्रीलाल ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय में स्वीकार करते हुए वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के वाद को डिक्री किया है ।

12. प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट ने स्वयं को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से व्यथित पक्षकार होना निवेदन किया है जिसे न्यायालय हाजा ने स्वीकार करते हुए अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की है । चूँकि अपीलान्ट जिसे अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया था । अपीलान्ट का उक्त वादग्रस्त आराजी पर कितना स्वत्व अधिकार है यह तो विचारण न्यायालय में वह अपने साक्ष्य गवाह, बयान से ही साबित कर सकेगा । ऐसी स्थिति में हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.09.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दावा एवं जवाबदावा के आधार पर कायम वाद–विवादक बिन्दु पर पक्षकारान की साक्ष्य आदि ली जाकर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 26.03.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 31.01.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा